



चेक संग्रहण नीति

अगस्त 2017

चेक संग्रहण नीति

पृष्ठभूमि

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1 नवंबर 2004 के अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. एलईजी बीसी .55/09.07.005/2004-05 के जरिए बैंकों को चेक संग्रहण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए चेक संग्रहण के लिए एक व्यापक और पारदर्शी नीति तैयार करने के लिए सूचित किया गया है. यह भी सूचित किया कि चेक संग्रहण नीति में बैंक द्वारा स्वयं निर्धारित मानदंडों का पालन न करने में हुए विलंब के कारण ब्याज के भुगतान के ज़रिए बैंक की देयता के लिए स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए. प्रौद्योगिकी विकास जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा, स्पीड क्लियरिंग, चेक ट्रंक्शन सिस्टम, आदि, से समाशोधन प्रक्रिया में गति और दक्षता आई है और इसलिए यह जरूरी है कि ग्राहकों और बैंक के कर्मचारियों के लिए एक व्यापक चेक संग्रहण नीति उपलब्ध करायी जाए. ये अनुदेश रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा पर अपने मास्टर परिपत्र में प्रति वर्ष दोहराये जाएंगे.

यह नीति उक्त अनुदेशों का परिणाम है.

पैरा संख्या	ब्योरे	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	3
2.	नीति का उद्देश्य	4
3.	नीति का दायरा	4
4.	नीति में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के लिए स्पष्टीकरण	5
5.	चेक फॉर्म में सुरक्षा विशेषताओं का मानकीकरण और संवर्धन : सीटीएस -2010	7
6.	समाशोधन के ज़रिए स्थानीय चेक संग्रहण हेतु व्यवस्थाएं	8
7.	जिन केंद्रों में समाशोधन गृह उपलब्ध नहीं है वहां समाशोधन के ज़रिए स्थानीय चेक संग्रहण व्यवस्था	9
8.	स्पीड क्लियरिंग के माध्यम से स्थानीय चेक संग्रहण के लिए व्यवस्था	9
9.	अंतर्देशीय बाह्य स्थान चेक संग्रहण के लिए व्यवस्था (आईओसीसी)	9
10.	आईओसीसी के संग्रहण में विलंब होने पर ब्याज का स्वप्रेरित भगतान	10
11.	स्थानीय और बाहरी केंद्र के चेक का तत्काल जमा	11
12.	आदाता खाता चेक का संग्रहण - अन्य पक्ष के खाते में जमा करने पर रोक	13
13.	सम मूल्य भुगतान चेक (पीएपी)	14
14.	स्थानीय चेकों के समाशोधन में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी	14
15.	विदेशी चेक संग्रहण के लिए व्यवस्था	14
16.	मार्ग / समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो गए चेक / लिखत	19
17.	बैंक की जिम्मेदारी	19
18.	ग्राहक की जिम्मेदारी	22
19.	अपरिहार्य घटना	23
20.	ग्राहक शिकायत निवारण	24

1. प्रस्तावना

1.1 आईडीबीआई बैंक देश का एक अग्रणी बैंक है जो ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है. बैंक का संकल्प है, "सभी अंश धारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनना."

1.2 ग्राहक चूंकि बैंक के सबसे बड़े अंश धारक हैं, संकल्प वाक्य ग्राहकों के मूल्य में वृद्धि करने की बैंक की प्रतिबद्धता को पूरी तरह प्रकट करता है.

1.3 बैंक के ध्येय में अन्य बातों के साथ निम्न शामिल हैं:

- क) अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक श्रृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना;
- ख) नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना;
- ग) कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना;

1.4 अतः बैंक यह स्वीकार करता है कि ग्राहक बैंक का मुख्य घटक है और बैंक के प्रत्येक कार्य का लक्ष्य ग्राहक के आनंद से जुड़ा हुआ है.

1.5 बैंक यह समझता है कि ग्राहक को आनंदित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है अपने सभी लेनदेनों में नैतिक और पारदर्शी नीति रखना.

1.6 ग्राहकों के लिए चेकों का संग्रहण और अन्य भुगतान लिखतों जैसे डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, लाभांश वारंट, ब्याज वारंट आदि (चेकों) का संग्रहण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है. चेकों का संग्रहण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' द्वारा नियंत्रित है. संग्रहण के विभिन्न माध्यमों में स्थानीय संग्रहण, बाहरी संग्रहण, विदेशी चेकों का संग्रहण शामिल हैं.

1.7 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित चेक संग्रहण नीति तैयार करें.

1.8 इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने एक 'चेक संग्रहण नीति' तैयार की है जो चेक के संग्रहण से संबंधित मामलों में ग्राहक तथा बैंक के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है.

1.9 यह नीति इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई है कि बैंक के सभी स्तरों के संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी हों. जिससे ग्राहकों के साथ परस्पर संवाद सभी भौगोलिक क्षेत्रों तथा सभी प्रकार के ग्राहकों के साथ एक समान हो और यह पारदर्शी मानकों/ प्रक्रियाओं पर आधारित है.

2. नीति के उद्देश्य

2.1 'चेक संग्रहण' पर रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों और ऐसे मानदंडों के पालन के लिए हमारी प्रोद्योगिकी क्षमताओं, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना.

2.2 ग्राहक को ग्राहक-संबंध जोड़ने से पहले या उसके दौरान 'चेक संग्रहण' से संबंधित मामलों में उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना.

2.3 पारदर्शी तरीके से मौजूदा प्रणाली को दोहराना / उपयुक्त प्रणाली को सुव्यवस्थित करना ताकि ग्राहक 'चेक संग्रहण' से संबंधित मामलों में सोच-विचार कर उपयुक्त निर्णय ले सके.

2.4 ग्राहकों को निधियों के अंतरण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फायदों के प्रति जागरूक करना जो तेज, प्रभावी और जोखिम मुक्त हैं.

3. नीति का दायरा

3.1 यह नीति बैंक की सभी शाखाओं / कारोबारी खंडों के लिए लागू है और इसे समय-समय पर संबंधित परिचालनगत दिशा निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

3.2 इस नीति की विषय-वस्तु हमेशा समय-समय पर रिज़र्व बैंक और / अथवा किसी अन्य विनियामक और / अथवा बैंक द्वारा सूचित परिवर्तनों / आशोधनों के आगे-पीछे / स्व-सुधार सहित पढ़ी जाएगी.

4 . नीति में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के लिए स्पष्टीकरण

4.1 **ग्राहक:** चेक संग्रहण नीति के प्रयोजन के लिए ग्राहक को एक ऐसे व्यक्ति या संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो बैंक में सक्रिय खाता (बचत, चालू, ओवरड्राफ्ट आदि) या ऋण/अग्रिम खाता रखता है. बैंक के साथ केवल सावधि जमा खाता रखने वाले व्यक्ति को सावधि जमा से संबंधित प्रारंभिक चेक की डीलिंग के सीमित उद्देश्य के लिए ग्राहक माना जाएगा.

4.2 **जावक समाशोधन - स्थानीय समाशोधन :** चेकों का संग्रहण जो बैंक के ग्राहक द्वारा अदाकर्ता बैंकों से वसूली के लिए जमा किए जाते हैं. ये दूसरे बैंक के ग्राहक द्वारा आहरित होते हैं और बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं ,ये चेकों के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन बैंक द्वारा संग्रहीत किए जाएंगे. जावक समाशोधन चेकों का संचालन करते बैंक एक संग्रहणकर्ताबैंक के रूप में कार्य करता है.

4.3 **जावक समाशोधन वापसी:** बैंक द्वारा वसूली के लिए ऊपर पैरा 4.2 में उल्लेखित रूप में वसूली के लिए प्राप्त किन्तु विभिन्न कारणों से अदाकर्ता बैंक द्वारा अस्वीकृत चेक.

4.4 **एमआईसीआर (माइकर) समाशोधन :** यह एक प्रकार की चेक समाशोधन प्रक्रिया है जो भारतभर में 66 प्रमुख शहरों तथा कस्बों में चुम्बकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर) प्रौद्योगिकी पर परिचालित समाशोधन सहायता मशीनों का प्रयोग कराते हुए बड़ी मात्रा में चेकों का निपटान कर सकती है तथापि चेक ट्रेंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के लागू होने के बाद समाशोधन की इस पद्धति को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

4.5 **चेक ट्रेंकेशन प्रणाली :** सीटीएस अदाकर्ता बैंक के पास लिखतों की भौतिक आवाजाहीम की आवश्यकता को समाप्त कराते हुए चेकों के त्वरित संशोधन के लिए तैयार की गई सुविधा है. यह प्रणाली चेकों की स्कैनिंग और चेकों की छवियों को भेजने की प्रौद्योगिकी का स्तेमाल करती है. यह प्रणाली दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई में केंद्रीय परिचालनात्मक केन्द्रों के साथ पूरे देश को शामिल कराते हुए तीन "समाशोधन ग्रेडों" के रूप में परिचालन में है.

4.6 गैर माइकर समाशोधन : यह एक ऐसी चेक समाशोधन प्रक्रिया है जो उन केन्द्रों पर संचालित है जो माइकर समाशोधन के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। समाशोधन प्रक्रिया माइकर के समान ही है केवल इतना अंतर है कि यह सिस्टम प्रत्येक केंद्र में विशेष रूप से डिजाइन सॉफ्टवेयर अर्थात् मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन सिस्टम (एमएमबीसीएस) द्वारा मैनुअल/सीमित कार्यक्षमता के साथ है।

4.7 एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस): ईसीसीएस एक समाशोधन प्रणाली है जो स्पीड क्लियरिंग के संचालन के लिए गैर-माइकर केन्द्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह प्रणाली बैंकों को स्थानीय समाशोधन गृह की भौगोलिक सीमा के परे स्थानों पर आहरित लिखतों सहित सभी लिखतों के संसाधन में समर्थ बनाती है, यदि ऐसे बाह्य लिखतों के अदाकर्ता बैंक की वहाँ स्थानीय रूप से शाखा हो और यदि वह कोड बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) पर परिचालन कर रही हो। ईसीसीएस इन केन्द्रों में पारंपरिक एमएमबीसीएस आधारित समाशोधन को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है।

4.8 स्पीड क्लियरिंग : स्पीड क्लियरिंग से आशय स्थानीय समाशोधन के माध्यम से बाहरी चेकों की वसूली है। स्पीड क्लियरिंग बाहरी चेक की वसूली के लिए लगने वाले समय को कम करती है क्योंकि भौतिक चेक को प्रस्तुत करने वाले केंद्र से अदाकर्ता केंद्र तक भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए एक चेक जो भारतीय स्टेट बैंक, मद्रुरै में देय है यदि इसे पोर्ट ब्लेयर में ग्राहक द्वारा जमा किया जाता है तो उसे मद्रुरै भेजने के बजाय पोर्टब्लेयर की स्थानीय क्लियरिंग में ही भेजा जा सकता है। स्पीड क्लियरिंग के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तें (क) बैंकिंग परिचालनों के लिए अदाकर्ता और संग्रहणकर्ता दोनों बैंकों में कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) होना चाहिए और (ख) जहां संग्रहणकर्ता बैंक है उस स्थान पर अदाकर्ता बैंक की शाखा/समाशोधन व्यवस्था होनी चाहिए।

4.9 संग्रहण हेतु अंतर्देशीय बाहरी चेक (आईओसीसी) : ग्रामीण केन्द्रों (सीटीएस स्थानीय और स्पीड समाशोधन द्वारा कवर नहीं किए गए हैं) पर आहरित और देय चेक का संग्रहण आउटस्टेशन चेकों की वसूली (आईओसीसी) ' के रूप में जानी जाती है। ओसीसी प्रक्रिया का मतलब भौतिक रूप से चेक को आदाता बैंक के स्थान पर भेजना और डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान होने पर ग्राहक के खाते में राशि जमा करना है।

4.10 चेक ड्रॉप बॉक्स : शाखा परिसर, ऑनसाइट और ऑफसाइट एटीएम में बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष बॉक्स में चेक जमा करने के लिए ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई एक

सुविधा

4.11 **स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम):** यह ग्राहकों को 24 * 7 के आधार पर सीमित बैंकिंग कार्य करने हेतु सक्षम करने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई एक मशीन है. कुछ एटीएम ग्राहकों को रसीद प्रदान करने की सुविधा के साथ चेक जमा की सुविधा प्रदान करते हैं.

4.12 **चेक जमा कियोस्क (सीडीके)-** ये लाउंजों, शाखाओं तथा/ या अन्य स्थानों पर स्थापित मशीनें होती हैं. जिनके जरिये आईडीबीआई बैंक के किसी खाताधारक को देय लिखत संबंधित आदाता/ खाताधारक के एटीएम/ डेबिट कार्ड का प्रयोग किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा कर सकते हैं. सीडीके मशीनों में लिखतों को स्कैन करने तथा सीटीएस समाशोधन के लिए आवश्यक छवि जनरेट करने की सुविधा होती है और इस प्रकार संग्रहण में लगने वाला संसाधन समय कम हो जाता है.

4.13 **क्लियरिंग शाखा:-** सीटीएस समाशोधन के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में समाशोधन कार्य, जावक समाशोधन लिखतों की जांच तथा स्कैनिंग को छोड़कर, संबन्धित ग्रीड केन्द्र में परिचालनगत केंद्रीकृत समाशोधन इकाई (सीसीयू) में किए जाते हैं. ऐसे केन्द्रों में जहां एक से अधिक शाखाएँ हों लेकिन सीटीएस समाशोधन में शामिल नहीं हैं, समाशोधन परिचालन मुख्य/ नामित शाखा द्वारा की जाती है. जो एक सेवा शाखा के रूप में कार्य कर सकती है. ऐसे स्थानों पर जहां बैंक की केवल एक शाखा है, समाशोधन एकल शाखा द्वारा किया जाएगा.

4.14 **चेक:** चेक शब्द में डिमांड ड्राफ्ट, व्यक्तिगत चेक, बैंकर चेक, खजांची चेक, यात्री चेक ब्याज / लाभांश वारंट आदि जैसे सभी भुगतान लिखत शामिल हैं, जब तक कि स्थिति विशेष संदर्भ की मांग न करें.

4.15 **नोस्ट्रो खाता:** चेक संग्रहण नीति के उद्देश्य से नोस्ट्रो खाता विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग में संबंधित देश की मुद्रा के साथ आईडीबीआई बैंक द्वारा खोला गया खाता है .

5 . **चैक प्रारूप में सुरक्षा विशेषताओं का मानकीकरण और संवर्धन :** सीटीएस -2010 :

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए चेक प्रारूपों के

मानकीकरण की प्राप्ति की दिशा में कुछ बेंचमार्क निर्धारित किए हैं, जो चेक प्रारूपों पर कुछ अनिवार्य सुरक्षा विशेषताओं/ कुछ वांछनीय/ अतिरिक्त विशेषताओं पर जोर देते हैं. इस नुस्के में कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, अदृश्य स्याही में बैंक का लोगो, शून्य पेंटोग्राफ आदि था चेक प्रारूपों पर फील्ड स्थापनो का मानकीकरण शामिल है. ये न्यूनतम सुरक्षा विशेषताएं देश में बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी चेक फॉर्मों में केवल एकरूपता ही सुनिश्चित नहीं करतीं बल्कि छवि (इमेज़) आधारित प्रोसेसिंग परिदृश्य में अदाकर्ता बैंकों के चेकों की छानबीन करने /पहचानने में प्रस्तुतकर्ता बैंकों की भी मदद करती हैं. जहां सुरक्षा विशेषताओं में एकरूपता से यह अपेक्षित है कि वह चेक धोखाधड़ी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करेगी वहीं जबकि चेक फॉर्म पर क्षेत्र निरूपण के मानकीकरण से ऑप्टिकल / इमेज़ कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सीधे माध्यम से प्रोसेसिंग की जा सकेगी. बेंचमार्क प्रस्ताव “सीटीएस -2010 मानक ' के रूप में जाना जाता है . भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार सभी बैंकों ने चेक में सीटीएस - 2010 मानक अपना लिया है . आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट प्रारूप में सभी चेकों में सीटीएस -2010 मानक अपना लिया है .

5.2 सीटीएस ग्रिड केंद्र वर्तमान में दो प्रकार के समाशोधन कर रहा है. एक समाशोधन सीटीएस अनुपालक लिखतों के लिए है और दूसरा सीटीएस गैर-अनुपालक लिखतों के लिए है. सीटीएस चेकों का समाशोधन 1 नवंबर 2014 से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा यदि यह दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अवकाश है तो चेक पुरावृत्ति कार्य दिवस को समाशोधित किया जाएगा.

6. समाशोधन के ज़रिए स्थानीय चेक संग्रहण हेतु व्यवस्थाएं:

6.1 स्थानीय रूप से देय सभी चेक उस केंद्र पर उपलब्ध समाशोधन प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे. निर्दिष्ट समय से पहले शाखाओं, एटीएम और वसूली बक्सों में जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे. निर्दिष्ट समय के बाद शाखाओं, एटीएम और ड्रॉप बक्सों में जमा किए गए चेक अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे. ऐसे चेकों को शाखा में प्रस्तुत किए जाने पर इस वाक्य के साथ कि 'आज के समाशोधन के लिए बहुत देर से प्राप्त' प्राप्ति सूचना दी जाएगी. बैंक नीति के तहत बैंक उस केंद्र पर समाशोधन निपटान हो जाने के बाद उसी दिन ग्राहक के खाते में संबंधित राशि का आभासी जमा करेगा. इस प्रकार जमा की गई राशि के आहरण की अनुमति समाशोधन गृह की चेक वापसी अनुसूची के अनुसार

होगी.

6.2 सभी शाखाएं चेक की प्राप्ति का निर्दिष्ट समय प्रदर्शित करेंगी. ऑफसाइट एटीएम पर लगाए गए ऑफसाइट एटीएम /ड्रॉप बॉक्स से चेक के संग्रहण का समय ड्रॉप बॉक्स पर दर्शाया जाएगा.

7. जिन केंद्रों में समाशोधन गृह उपलब्ध नहीं है वहां समाशोधन के ज़रिए स्थानीय चेक संग्रहण व्यवस्था:

7.1 ऐसे केंद्रों में स्थित शाखाएं जहां कोई समाशोधन गृह नहीं है, अदाकर्ता बैंक को काउंटर पर स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगी और बैंक का यह प्रयास रहेगा कि प्राप्त राशि यथाशीघ्र जमा कर दे.

8. स्पीड क्लियरिंग के माध्यम से स्थानीय चेक संग्रहण के लिए व्यवस्था:

8.1 स्पीड क्लियरिंग सरकारी चेकों से संबंधित खातों को छोड़कर सभी प्रकार के खातों के लिए सक्रिय की गई है. उपरोक्त पैरा 6.1 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर ये चेक भी स्थानीय समाशोधन के लिए भेजे जाएंगे. बैंक इस तरह की स्पीड क्लियरिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क जहां लागू हो लगा सकता है.

9. अंतर्देशीय बाह्य स्थान (बाहरी) चेक संग्रहण के लिए व्यवस्था (आईओसीसी):

9.1 यदि अदाकर्ता बैंक जिस पर बाहरी चेक आहरित है, स्पीड समाशोधन केंद्र के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं तो, ऐसे बाहरी चेकों को स्थानीय समाशोधन के लिए भेजा जाएगा. केवल ऐसे चेक जिन्हें स्थानीय स्पीड समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है उन्हें आईओसीसी के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा.

9.2 चेक जो ऐसे केन्द्रों पर आहरित हैं जहां आईडीबीआई बैंक शाखाएं हैं उन्हें आईडीबीआई बैंक शाखाओं पर ही भेजा जाएगा. बैंक की सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में बैंक अपनी किसी भी शाखा पर आहरित बाहरी चेक के संदर्भ में अपने ग्राहकों को अगले दिन जमा (राशि उगाही होने पर जमा का स्पष्ट संकेत मिलने के बाद) प्रदान करेगा.

9.3 यदि चेक ऐसे स्थान पर आहरित है जहां बैंक शाखा नहीं है तो चेक सीधे अदाकर्ता बैंक को वसूली के लिए भेजा जाएगा या प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा.

9.4 अन्य संग्रहणकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त को स्थानीय क्लियरिंग/आईओसीसी में उगाही हेतु भेजा जाएगा और अदाकर्ता बैंक द्वारा निधियों की उगाही के बाद जमकर्ता के खाते में राशि जमा हो जाएगी.

9.5 बैंक की बहियों में स्पष्ट क्रेडिट प्राप्त होने पर ग्राहक के खाते में एजेंसी बैंक और आईडीबीआई बैंक के शुल्क के साथ राशि जमा कर दी जाएगी.

9.6 यदि आईओसीसी चेक भुगतान शाखा / बैंक से अदत्त लौटते हैं तो आदाता/प्रतिनिधि बैंक और आईडीबीआई बैंक के प्रभार को नामे करके मूल चेक और वापसी ज्ञापन के साथ ग्राहक को भेजा जाएगा.

10. आईओसीसी के संग्रहण में विलंब होने पर ब्याज का स्वप्रेरित भुगतान

10.1 यदि क्रेडिट देने में विनिर्दिष्ट समयावधि से अधिक का समय लगता है तो बैंक विलंबित अवधि के लिए संग्रहित चेक की राशि पर ग्राहक द्वारा कोई मांग न किए जाने पर भी ब्याज की अदायगी करेगा. देश के भीतर बाहरी केन्द्रों को संग्रहण के लिए भेजे गए चेकों और अन्य लिखतों के लिए निम्न समय मानदंड लागू हैं.

I. मेट्रो सेंटर और राज्य की राजधानियों में स्थित बैंकों में आहरण (उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के अलावा): अधिकतम 7 दिन की अवधि (अर्थात् किसी भी मेट्रो सेंटर के किसी भी स्थान अथवा उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के अलावा अन्य किसी राज्य की राजधानी के स्थान पर संग्रहण के लिए भेजे गए चेक)

II. बड़े शहरों में स्थित बैंकों में आहरित चेक: अधिकतम 10 दिनों की अवधि (अर्थात् मेट्रो तथा राज्य की राजधानी से इतर केन्द्र जहां आईडीबीआई बैंक की शाखा है पर प्रस्तुत चेक)

III. अन्य स्थानों पर स्थित बैंकों में आहरित चेक: अधिकतम 14 दिनों की अवधि (उस स्थान पर प्रस्तुत चेक जहां पर आईडीबीआई बैंक की कोई शाखा नहीं है)

10.2 यदि जमा करने में उपर्युक्त समयावधि से अधिक का समय लग कर विलंब होता है तो बैंक ब्याज अदा करेगा. 7/10/14 दिनों जिसमें ऊपर किए गए उल्लेखानुसार अधिकतम अनुमत अवधि छोड़कर, जैसा भी मामला हो. निम्नलिखित दरों पर ब्याज अदा किया जाएगा.

क) बाहरी चेकों की वसूली के मामले में 7/10/14 दिनों से ज्यादा की विलंबित अवधि के लिए बचत बैंक दर .

ख) जहां विलंब 14 दिनों से ज्यादा है, संबंधित अवधि के लिए मीयादी जमा के लिए लागू दर पर ब्याज अदा किया जाएगा .

ग) असामान्य विलंब के मामले में, अर्थात् 90 दिन से ज्यादा के विलंब के लिए तदनुसूची मीयादी जमा दर से 2% अधिक की दर पर ब्याज अदा किया जाएगा .

घ) वसूली के अंतर्गत चेक ग्राहक के ओवरड्राफ्ट / ऋण खाते में जमा करने की प्रक्रिया के मामले में, ऋण खाते के लिए लागू ब्याज दर अदा की जाएगी. असामान्य विलंब के लिए, ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से अधिक 2% की दर पर ब्याज अदा किया जाएगा .

10.3 ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का कोड 2009, जिसकी निगरानी बीसीएसबीआई द्वारा की जाती है; के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बाहरी चेकों के संग्रहण में विलंब के मामले में, बैंक ग्राहकों से कोई मांग प्राप्त हुए बिना कम्प्यूटर आटोमेटेड प्रक्रिया के जरिए ग्राहकों को उक्त क्षतिपूर्ति की अदायगी करेगा. तथापि, सिस्टम संबंधी सीमा होने पर, सीसी/ओडी /ऋण खातों में विलंबित संग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति / ब्याज की अदायगी मानवीय व्यवस्था के जरिए की जाएगी.

11. स्थानीय और बाहरी केंद्र के चेक का तत्काल जमा

11.1 ग्राहक के विशेष अनुरोध पर संग्रहण के लिए 15000/- रु. तक की राशि के लिए स्थानीय और बाहरी केंद्र के चेक के संदर्भ में तत्काल जमा की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते निम्न शर्तों को पूरा किया जाए:

क) सभी व्यक्तिगत जमा खाता धारकों को, बिना उनके खाते में अंतर किए हुए जैसे बचत खाता/ चालू खाता आदि(एनआरओ, एनआरई और अवयस्क के बचत खाते पर उपलब्ध

नहीं)तत्काल जमा की सुविधा उपलब्ध होगी. चेक व्यक्तिगत खाता धारक के पक्ष में होना चाहिए.

ख) खाता भारतीय रुपये में होना चाहिए.

ग) चेक/डीडी अनुसूचित वाणिज्य-बैंक पर, भारत में भुगतान के लिए (सहकारी बैंक को छोड़कर) आहरित होना चाहिए.

घ) ग्राहक को केवल मूल शाखा पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है.

ड) खाता पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पहले खोला गया हो और संतोषजनक रूप से परिचालित किया गया हो. बैंक ने पिछले छः माह में कोई अनियमित/संदेहास्पद लेन-देन न देखे हों और न ही खाता/ खाता धारक के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी को बैंक के ध्यान में लाया गया हो.

च) चेक उत्तर दिनांकित/गतावधि/गतावधि के बिलकुल करीब नहीं होना चाहिए. चेक को समाप्ति दिनांक से कम से कम 7 दिन पहले जमा करना चाहिये.

छ) खाते में असंतोषजनक परिचालन हेतु किसी भी समय दंड प्रभार जैसे न्यूनतम शेष प्रभार तथा चेक/ईसीएस वापसी प्रभार आदि न लगे हों. खाता "निष्क्रिय" या "डोरमेंट" नहीं होना चाहिए.

ज) खाते में तत्काल जमा राशि,15000/-रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए चाहे वह एकल या बहु चेक/डीडी हों. अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि खरीदे गए चेकों के बकाया के कारण खाते में देयता किसी भी समय में 15000/ रुपये से अधिक न हो.

झ) चेक के लिए आंशिक जमा की अनुमति नहीं होगी.

ञ) चेक, ग्राहक के अन्य खाते का स्वयं का चेक जैसे स्वयं आहरित चेक नहीं होना चाहिए.

ट) संग्रहण हेतु भौतिक चेक जमा किए जाने पर ही ग्राहकों को तत्काल जमा की सुविधा दी जाएगी.

ठ) पूर्व में बैंक को तत्काल जमा किए गए चेक पर चेक वापसीसहित किसी राशि की वसूली के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई हों.

11.2 जहाँ औपचारिक समाशोधन गृह नहीं है, उन केन्द्रों में भी स्थानीय चेक के लिए तत्काल जमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

11.3 संग्रहण के लिए दिये गए बाहरी केंद्र के चेक पर तत्काल जमा का प्रभाव देते समय बैंक सामान्य वसूली प्रभार और अतिरिक्त खर्च लगाएगा.

11.4 यदि कोई चेक जिस पर तत्काल जमा दिया है और जिस पर चालू/बचत खाते से आहरण अनुमत है, अदत्त वापस होता है तो, आहरित राशि को अस्थायी ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और खाता धारक से जितने समय के लिए राशि बैंक से बाहर है की अवधि के लिए लागू ब्याज तथा चेक वापसी प्रभार सहित राशि की वसूली की जाएगी. खाते में चेक की राशि जमा करने की तारीख से बैंक को/द्वारा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली होने तक के लिए ब्याज लगाया जाएगा.

11.5 जो चेक बचत बैंक खाते में जमा किया गया हो, वह अदत्त वापस लौटने पर ऐसे जमाओं पर ब्याज की गणना नहीं जाएगी.

11.6 यदि निधियों को ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया गया हो तो, लौटाए गए चेक/लिखत की राशि पर, लागू दर/बेजमानती ओवरड्राफ्ट दर जो भी अधिक हो के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी.

11.7 विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के चेकों/लिखतों के लिए बैंक तत्काल जमा की सुविधा प्रदान नहीं करता है.

12. आदाता खाता चेक का संग्रहण - अन्य पक्ष के खाते में प्राप्तियाँ जमा करने पर रोक

12.1 विधिक आवश्यकताओं विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता चेक का संग्रहण नहीं करेगा और न ही चेक पर लिखे हुए राशि पाने वाले व्यक्ति के नाम के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के खाते में आदाता चेक जमा करेगा.

12.2 जहाँ आहर्ता/आदाता बैंक को संग्रहण की प्राप्तियाँ पाने वाले के अलावा अन्य के खाते में जमा के लिए सूचित करता है तो सूचना 'आदाता खाता चेक'के अंतर्निहित अभिप्राय से विरुद्ध होती है इसलिए बैंक आहर्ता/आदाता को चेक बैंक आहर्ता/आदाता से चेक वापस लेने/अथवा

आहर्ता द्वारा उस पर आदाता के खाते में अधिदेश को वापस लेने के लिए कहेगा. यह अनुदेश एक बैंक से दूसरे बैंक में भुगतान के लिए आहरित चेक के संदर्भ में भी लागू होगी.

12.3 भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण से चेक संग्रहण को सुगम्य बनाने के लिए, ग्राहक के खाते में जमा करने के लिए उप-सदस्य के पास जमा किए गए आदाता खाता चेक को बैंक समाशोधन गृह के सदस्य बैंक के रूप में संग्रहीत कर सकता है.

12.4 आदाता खाता चेक संग्रहण में सहकारी ऋण सोसाइटी के सदस्यों को होने वाली समस्याओं को कम करने की दृष्टि से, बैंक अपनी ग्राहक सहकारी ऋण सोसाइटी के लिए आहरित 50000/-रुपये से अनधिक तक के आदाता खाता चेक का संग्रहण करने पर विचार करता है, बशर्ते ऐसे चेक का आदाता उस सहकारी ऋण सोसाइटी का ग्राहक हो. उपरोक्त चेक का संग्रहण करते समय, बैंक के पास सहकारी ऋण सोसाइटी द्वारा चेक वसूली के लिए लिखित रूप में स्पष्ट प्रतिनिधित्व होगा कि इस प्रक्रिया में चेक कि राशि केवल उस सहकारी ऋण सोसाइटी के सदस्य के खाते में जमा होगी जिसका नाम चेक में पानेवाले के रूप में लिखा गया है. तथापि, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, के अंतर्गत धारा 131 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा.

13. सम मूल्य भुगतान चेक (पीएपी)

13.1 पीएपी चेक ग्राहक को अपने चेक का उन सभी केन्द्रों में जहां बैंक की शाखा है, भुगतान के लिए इस्तेमाल करने में सहयोग करते हैं. चेकबुक प्राप्त करने के लिए पात्र सभी ग्राहक पीएपी चेकबुक जारी कराने के हकदार हैं. तथापि, 'स्पीड क्लियरिंग' के बढ़ाए गए दायरे के अनुसार सभी प्रकार के चेकों को अदाकर्ता बैंक के सभी शाखाओं में 'सममूल्य पर देय' के रूप में माना जाएगा.

14. स्थानीय चेकों के समाशोधन में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी

14.1 स्थानीय चेकों का समाशोधन, संबंधित स्थान के समाशोधन चक्र की समाशोधन प्रक्रिया के अनुसार होता है. अतः काउंटर पर स्वीकार किए गए चेक तथा कट ऑफ समय से पहले ड्रॉप बॉक्स से निकाले गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए भेजे जाएंगे जब कि कट ऑफ समय के बाद स्वीकार किए गए चेक अगले दिन समाशोधन के लिए भेजे जाएंगे.

14.2 यदि स्थानीय चेकों के संग्रहण में ऊपर उल्लिखित अवधि से अधिक का समय लगता है तो बैंक विलंबित अवधि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार अदायगी करेगा.

15. विदेशी चेक संग्रहण के लिए व्यवस्था

15.1 भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं जैसे यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, आदि मूल्यवर्ग के चेक/लिखत को विदेशी मुद्रा चेक/लिखत कहते हैं. विदेशी मुद्रा लिखत/चेक मांग-पत्र, वैयक्तिक चेक, बैंकर चेक, रोकड़ चेक, यात्री चेक आदि शामिल हैं. चूंकि ऐसे चेकों का भुगतान भारत में नहीं होता है, इसलिए राशि कि उगाही प्रक्रिया के लिए इन्हें चेक की मुद्रा से संबन्धित देशों में भेजने की आवश्यकता होती है.

15.2 भारत में आहरित/देय होने वाले विदेशी मुद्रा के चेक (विदेशी पोस्टल ऑर्डर सहित) पर स्थानीय चेक के समान कार्यवाही की जाएगी. भारतीय रुपये में प्राप्ति के मामले में अदाकर्ता/संग्रहणकर्ता बैंक द्वारा लगाई गई संपरिवर्तन दर और लिए गए संग्रहण प्रभार के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. बैंक रुपया चेकों के लिए लागू सुविधाओं की अनुसूची के अनुसार प्राप्त राशि में से लागू प्रभार की प्रचलित दरों के अनुरूप पी एंड टी/ कुरियर प्रभार वसूल करेगा.

15.3 बैंक ने मूलतः तीन प्रकार की व्यवस्था को अपनाया है:

- i. नकद पत्र व्यवस्था (सीएलए)
- ii. अंतिम जमा सेवाएँ (एफसीएस)
- iii. प्रत्यक्ष वसूली व्यवस्था (डीसीए)

15.3.1 नकद पत्र व्यवस्था (सीएलए):

क) विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के चेक/लिखत जिनका भुगतान उसी देश में होना है जहां की वह मुद्रा है, पर कार्यवाही संपर्की बैंक (सीबी) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नकद पत्र व्यवस्था के आधार पर होगा. इस सुविधा के अंतर्गत संपर्की बैंक पूर्व निर्धारित तारीख को अनंतिम जमा देगा जो संपर्की बैंक को चेक प्रस्तुत करने के बाद 7-10 कार्य दिवस में होगा. तथापि, यह लाभार्थी/आदाता को मिलने वाली राशि से पहले पुनः विराम अवधि (संबन्धित देश के कानून व्यवस्था के अंतर्गत चेक वापसी की संभावित प्रतीक्षित अवधि) के अधीन होगा. विराम अवधि वसूली की क्षेत्र और पद्धति पर निर्भर करती है. ग्राहक के खाते में जमा करने से पहले सीबी द्वारा बैंक के नास्त्रो खाते में अनंतिम जमा करने के बाद बैंक, 21 दिनों की विराम अवधि का

पालन करता है. फिर भी,चेक 1 वर्ष की अवधि तक(चेक के सामने पृष्ठ पर धोखाधड़ी के लिए) और 3 वर्ष(चेक के पिछले पृष्ठ पर धोखाधड़ी के लिए) वापस किया जा सकता है. बैंक उन मामलों में सभी लागत एवं प्रभारों के साथ ग्राहक के खाते में जमा की गई चेक/लिखत की राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह बाद में उस देश की प्रचलित कानून के अनुसार उसी मुद्रा की चेक/लिखतवैध कारणों से अस्वीकृत होकर वापस आता है.

ख) कुछ प्रतिनिधि बैंक(सीबी) चेक की छवि(इमेज) इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल स्थानांतरण से भेजते हैं बजाय भौतिक चेक को पारंपरिक कूरियर द्वारा न्यूयार्क भेजने के ,जिससे समय की बचत होती है. यह प्रणाली चेक - 21 कानून के अंतर्गत सुगम बनाई गई है. इसी के अधीन बैंक से बैंक चेक की छवि के आदान-प्रदान से सौदा पूर्ण होता है.

ग) बैंक 'प्रभारों की अनुसूची' में निर्दिष्ट प्रभार के अनुसार अपनी सेवा प्रभार और अन्य विविध/फुटकर प्रभार (जैसे डाक, कूरियर प्रभार आदि) वसूल करेगा. नोस्ट्रो बैंक प्रभार अलग से मासिक बिल के आधार पर वसूल किए जाएंगे.

15.3.2 अंतिम जमा सेवाएँ (एफ़सीएस):

क) ग्राहक के विशेष अनुरोध पर बैंक, कुछ संपर्की बैंक द्वारा प्रस्तुत निश्चित मुद्राओं में उपलब्ध कराई जाने वाली अंतिम जमा सेवाओं/अधिमान्य जमा सेवाओं का उपयोग के लिए कर सकता है. इस व्यवस्था के अधीन, सीबी शुल्क लेकर चेक/लिखत पर निश्चित जमा सेवा गारंटी प्रदान करता है और बैंक बिना किसी अवलंब के अपने नास्ट्रो खाता में अंतिम जमा प्राप्त करता है. तथापि, संपर्की बैंक की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित जमा एफ़सीएस क्षेत्र की सीमाओं के अधीन है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं :

(i) चेक की बढ़ाई गई राशि

(ii) चेक पर परिवर्तित आदाता

(iii) चेक के पृष्ठ भाग पर धोखाधड़ी जैसे जाली,धोखाधड़ी या लुप्त पृष्ठांकन; बैंक द्वारा मुद्रित अथवा स्वीकार किए गए चेक के पीछे अन्य जाली, गलत अधूरी सूचना; चेक के पीछे कोई परिवर्तन आदि.

ख) बैंक की नीति के अनुसार, 5000 डॉलर से अधिक के यूएसडी चेक को इस व्यवस्था के अधीन भेजा जाएगा. इस सेवा में सामान्यतः विराम अवधि नहीं है क्योंकि निधि जारी करने से पूर्व सीबी द्वारा विराम अवधि निमित्त होती है. बैंक ग्राहक से अपने शुल्क के साथ प्रतिनिधि बैंक द्वारा लिए गए प्रभार की वसूली करेगा.

ग) बैंक 'प्रभारों की अनुसूची' में निर्दिष्ट प्रभार के अनुसार अपनी सेवा प्रभार और अन्य विविध प्रभार (जैसे डाक, कूरियर प्रभार आदि) वसूल करेगा. नोस्ट्रो बैंक प्रभार अलग से मासिक बिल के आधार पर वसूल किए जाएंगे.

15.3.3 प्रत्यक्ष वसूली व्यवस्था (डीसीए):

क) ऐसे बैंक में जहां नास्ट्रो खाता नहीं होता है या प्रतिनिधि बैंक के साथ उपरोक्त व्यवस्था नहीं होती है वहाँ चेक/लिखत का मुद्रा में आहरण, प्रत्यक्ष वसूली व्यवस्था (डीसीए) द्वारा संचालित होगा. इसके अंतर्गत वसूली के लिए सीधे आदाता बैंक को चेक/लिखत भेजा जाएगा.

ख) यूएस बैंक पर आहरित यूएसडी चेक की वसूली की कड़ी में पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं को निश्चित करने के लिए आधारभूत विधिक संरचना यूएस फेडरल और स्टेट कानून जैसे एकसमान वाणिज्यिक कूट (यूसीसी) आदि द्वारा शासित होती है. तथापि, इस प्रक्रिया में जाली चेक की वापसी की घटना होती है तो यूएस के आदाता बैंक को यूएस समाशोधन गृह दिशानिर्देशों के अधीन, अनुबंधित अवधि में चेक प्रस्तुतकर्ता बैंक से राशि की वसूली करने का अधिकार है.

ग) प्रभारों के अतिरिक्त, अदाकर्ता बैंक और/या सीबी का प्रभार, यदि कोई है, तो, बैंक प्रभारों की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रभार के अनुसार अपनी सेवा प्रभार और अन्य विविध प्रभार (जैसे डाक, कूरियर प्रभार आदि) वसूल करेगा.

घ) यदि वसूली/उगाही के लिए भेजे गए चेक/लिखत की अनाहरित वापसी किसी वैध कारणों से होती है तो, बैंक के पास सभी लागत एवं प्रभारों के साथ ग्राहक के खाते में जमा चेक/लिखत की राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित है जैसा उस देश के प्रचलित कानून के अनुसार जिसकी मुद्रा में चेक/लिखत आहरित हुआ है.

ड) प्रतिनिधि बैंक द्वारा रखे गए अथवा अधिग्रहित चेक ग्राहक को वापस देने या सीबी से प्राप्त करने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। ऐसे दृष्टांत में सीबी या भुगतानकर्ता बैंक से प्राप्त भुगतान-नहीं सूचना के आधार पर प्रतिनिधि बैंक के सभी प्रभार ग्राहक से वसूल किए जाएंगे।

15.4 विदेशी मुद्रा में आहरित चेक (जहां आईडीबीआई की शाखा नहीं है) बेहतर से बेहतर प्रयासों के आधार पर संग्रहण के लिए स्वीकार किए जाते हैं। बैंक ऐसे चेकों के त्वरित संग्रहण के लिए संपर्की बैंक के साथ खास संग्रहण व्यवस्था कर सकता है। ऐसे चेकों के संग्रहण के लिए समय सीमा निम्नानुसार हैं:

संग्रहण का तरीका	संग्रहण समय सीमा
हमारे संपर्की बैंकों की नकदी पत्र व्यवस्था (सीएलए) के तहत भेजे गए यूएसडी / जीबीपी / ईयूआर चेकों / लिखतों के लिए।	कूलिंग अवधि अर्थात नोस्ट्रो खाते में अनंतिम जमा की तारीख से 21 दिनों की समाप्ति के बाद ग्राहक के खाते में जमा।
हमारे संपर्की बैंकों की अंतिम संग्रहण सेवा (एफसीएस)/अधिमान्य संग्रहण सेवा (पीसीएस) के तहत यूएसडी / जीबीपी/ ईयूआर चेकों / लिखतों के लिए।	नोस्ट्रो खाते में निधियां रखने के बाद ग्राहक के खाते में तत्काल जमा।
प्रत्यक्ष संग्रहण व्यवस्था (डीसीए) के तहत भेजे गए चेकों / लिखतों के लिए।	नोस्ट्रो खाते में निधियां रखने के बाद ग्राहक के खाते में तत्काल जमा।

15.5 उपर्युक्त समय मानदंड बिना इस बात को ध्यान में रखते हुए लागू हैं कि चेक / लिखत बैंक की स्वयं की शाखाओं पर आहरित हैं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर।

15.6 बैंक ग्राहक की जमा संबंधी साख स्थिति, केवाईसी अनुपालन, क्षतिपूर्ति संबंधी वचन पत्र, आदि के आधार पर कूलिंग अवधि की समाप्ति से पहले निधियों के चुनिंदा आहरण की अनुमति दे सकते हैं जोकि नामित प्राधिकारी द्वारा कूलिंग अवधि की छूट के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार होगी।

15.7 बैंक सभी बेजमानती लिखतों के तत्काल एवं त्वरित प्रेषण और वसूली के लिए पर्याप्त ध्यान रखता है। बेजमानती लिखतों के संग्रहण के संबंध में विभिन्न देशों में मौजूद भिन्न-भिन्न समाशोधन नियमों और विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, संग्रहण के लिए भेजे गए विदेशी मुद्रा के चेकों / लिखतों के भुगतान की सही देय तारीख निर्धारित करना कठिन है। तथापि, बैंक के नोस्ट्रो खाते में निधियों के देखने के बाद अथवा कूलिंग अवधि की समाप्ति के

बाद जमा लागू करने में हुए विलंब, जैसा भी मामला हो,के लिए जमाकर्ता को विलंबित अवधि के लिए बचत बैंक जमा राशि पर लागू दर से ब्याज अदा किया जाएगा.

15.8 यदि चेक / लिखत राशि को विदेशी मुद्रा जमा राशि के रूप में उसी मुद्रा में रखा जाता है तो जमाराशि की मूल्य तारीख नोस्ट्रो जमा की तारीख के अनुसार मानी जाएगी.

16. मार्ग / समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो गए चेक / लिखत

16.1 संग्रहण के लिए स्वीकार किये गए किसी चेक अथवा लिखत के मार्ग में अथवा समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाने की स्थिति में; यह बात पता चलते ही बैंक तत्काल इसे खाताधारक की जानकारी में लाएगा ताकि खाताधारक, चेक काटने वाले को भुगतान रोकने का आदेश देने के लिए कह सके और इस बात का भी ध्यान रख सके कि उनके द्वारा जारी किए गए कोई चेक, यदि कोई हों, खोए हुए चेकों / लिखतों की राशि जमा न होने के कारण नकार न दिए जाएं.

16.2 यदि संग्रहण (आईओसीसी) हेतु भेजा गया बाहरी चेक भुगतानकर्ता बैंक / शाखा को प्राप्त न होने पर, डाक/कूरियर कंपनी के साथ समुचित पूछ-ताछ के बाद, बैंक यह पूरी तरह सहमत होता है कि उक्त कूरियर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है और वह खो गया है के पश्चात अदाकर्ता बैंक/शाखा को तथ्य की जानकारी दी जाएगी और सतर्क रहने हेतु अनुरोध किया जाएगा. बैंक खाता धारक को भी उक्त सूचना देगा ताकि खाता धारक चेक काटने वाले को भुगतान रोकें को रिकार्ड करने और खोए हुए चेक के स्थान पर डुप्लिकेट चेक प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकें.

16.3 बैंक आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक को चेक काटनेवाले से डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने में पूरी सहायता करेगा.

16.4 यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय चेक खो जाता है तो बैंक, संपर्की /आहर्ता बैंक को खोए चेकों / लिखतों के सभी ब्योरे उपलब्ध कराएगा ताकि वे सावधानी बरत सकें. बैंक लिखत की फोटोकॉपी / स्कैन इमेज के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय लिखत का भुगतान प्राप्त करने, जहां कहीं यह व्यवस्था उपलब्ध हो, की व्यवस्था करेगा.

16.5 बैंक मार्ग में खोए लिखतों के संदर्भ में खाताधारक को बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति करेगा.

17. बैंक की जिम्मेदारी

17.1 जब कभी भी ग्राहक शाखा के काउंटर पर चेक जमा कराता है तो, बैंक को काउंटर फॉइल पर उपयुक्त स्टैम्प लगाकर जिस पर 'समाशोधन /संग्रहण के लिए प्राप्त' दर्शाते हुए प्राप्ति की तारीख और प्राप्त करने वाले स्टाफ द्वारा उसकी प्राप्ति को अधिप्रमाणित करते हुए ग्राहक को पावती देनी होगी.

17.2 बैंक जावक चेकों को तत्काल समाशोधन/ संग्रहण के लिए प्रक्रिया जो अत्यंत किफायती पद्धति में निधियों की त्वरित उगाही की जाती है के माध्यम से भेजने हेतु सभी आवश्यक कदम (उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के अधीन) उठाएगा.

17.3 जावक चेक के लौटाने के मामले में बैंक एक एडवाईस तैयार करेगा जिसमें चेक को लौटाने के कारण दिये जाएंगे. ग्राहक को चेक के साथ एडवाईस पंजीकृत डाक/लोकल डिलीवरी /काउंटर पर दी जाएगी. बैंक अस्वीकारे गये चेकों को शाखा में उपलब्ध ग्राहक के अंतिम रिकार्ड किये गये पते पर भेजेगा.

17.4 चूंकि सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म से जुड़ी हैं, बाहरी केन्द्रों में स्थित बैंक की अपनी शाखाओं में आहरित चेकों को अंतरण चेक के रूप में स्थानीय रूप से ही संग्रहित किया जाएगा. यदि चेक को बैंक के ही दो खातों के बीच अंतरण के द्वारा लेन -देन के निपटान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया और उसे वापस कर दिया गया हो तो, ऐसे चेक को उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आदाता को एक कार्य दिवस के अंदर लौटा दिया जाएगा.

17.5 कोर्ट, उपभोक्ता मंच अथवा कोई और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चेक के अस्वीकारे जाने से संबंधित किसी भी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (अर्थात् अस्वीकारे गये चेक के आदाता/धारक) की ओर से चेक के अस्वीकारे जाने वाले तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बैंक को अपना पूरा सहयोग देना होगा और शिकायतकर्ता को चेकों के अस्वीकारे जाने के तथ्य के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे.

17.6 रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार बैंक ग्राहक की गलती न होने पर भी लौटाए गए चेक पर जावक चेक लौटाने के प्रभार नहीं लगा सकता. तदनुसार बैंक निम्नलिखित कारणों से लौटाये गये चेकों पर कोई प्रभार नहीं लगाएगा.

कोड नं.	वापसी का कारण
33	कटे-फटे लिखत; बैंक गारंटी की आवश्यकता
35	समाशोधन गृह का स्टैम्प /दिनांक की आवश्यकता
36	गलती से सुपुर्द किये गये /हमारे बैंक के नाम पर आहरित न हो
37	उचित ज़ोन में प्रस्तुत किया जाए
38	लिखत में असम्बद्ध लिखा गया हो
39	इमेज का स्पष्ट न होना; पेपर के साथ पुनः प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें.
41	मद दोबारा दी गई है
42	कागज प्राप्त नहीं हुए
60	दो बैंकों पर रेखित
61	रेखित स्टैम्प रद्द नहीं किया गया
62	समाशोधन स्टैम्प रद्द नहीं किया गया
63	लिखत को विशेषकर अन्य बैंक के नाम रेखित किया गया हो
67	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित हो/संग्रहणकर्ता बैंक के पुष्टिकरण की आवश्यकता हो
68	मार्क/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन पर मैजिस्ट्रेट की सील सहित अनुप्रमाणन आवश्यक है
70	सूचना प्राप्त नहीं हुई
71	सूचना पर राशि /नाम में अंतर
72	अदाकर्ता बैंक की प्रायोजक बैंक के पास अर्पयाप्त निधि (उप सदस्य बैंकों के लिए लागू)
73	बैंक को आदाता के अलग उन्मोचन की आवश्यकता
74	1ले प्राक्सिमो तक अदेय
75	पे आर्डर/चेक पर प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता
76	अपेक्षित जानकारी स्पष्ट/सही नहीं है
80	बैंक प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/ अपेक्षित
81	जारीकर्ता बैंक द्वारा ड्राफ्ट का खो जाना; जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टिकरण की आवश्यकता
82	बैंक /शाखा अवरुद्ध (ब्लॉकड)
83	डिजिटल प्रमाणपत्र मान्य न होना

84	अन्य कारण - कनेक्टिविटी का न होना
87	'आदाता के खाते में जमा' - स्टैम्प की आवश्यकता
92	बैंक शामिल नहीं है

17.7 ऐसे चेक जिन्हें आदाता को बिना किसी अवलंब के, पुनः प्रस्तुत करना हो तो इसे अगले समाशोधन चक्र में तत्काल प्रस्तुत किया जाए और इसकी जानकारी ग्राहक को एसएमएस अलर्ट, ईमेल आदि के ज़रिये दी जाए.

18. ग्राहक की जिम्मेदारी

18.1 संग्रहण के लिए (काउंटर पर अथवा चेक ड्राप् बॉक्स में जमा करवाते समय) प्रस्तुत किये गये चेक के साथ ग्राहक अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा विधिवत् रूप से भरी और हस्ताक्षरित जमा स्लिप (पे इन) लगायी जानी चाहिए. स्थानीय और बाहरी चेकों (प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग) के लिए अलग-अलग जमा स्लिप प्रस्तुत की जाए. ग्राहक और उसके प्रतिनिधि को अपना फोन नंबर का उल्लेख करना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करने में आसानी हो.

18.2 जमा स्लिप और काउंटर फॉइल पर लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए. चेक और जमा स्लिप के सभी कॉलम पूर्ण रूप भरे होने चाहिए. इन मानदंडों को पूरा न करने वाले चेकों और जमा स्लिपों को पूर्णरूप से ग्राहक के जोखिम और जिम्मेदारी पर समाशोधन के लिए स्वीकारा नहीं जाएगा.

18.3 ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक कटा फटा न हो और चेक पर किसी प्रकार के परिवर्तन/धोखाधड़ी का संकेत न हो.

18.4 चेक पर किसी प्रकार की ओवर राइटिंग/परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए. सीटीएस केन्द्रों के मामले में चेकों पर ओवर राइटिंग /परिवर्तन की अनुमति नहीं है.

18.5 चेक पर अन्य बैंक के क्रॉसिंग अथवा ऐसा समाशोधन न हो जो कि रद्द न किया गया हो.

18.6 बैंक अपने विवेक पर संग्रहण /भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये बड़े मूल्य वाले चेकों की पूछताछ कर ग्राहक से निधियों के लेन-देन स्रोत से संबंधित विवरण/प्रमाण की मांग कर सकता है. ग्राहक को बैंक द्वारा मांग किये जाने पर सबूत के साथ यदि कोई हो, विवरण देना होगा.

18.7 ग्राहक को केवल सीटीएस 2010 मानक चेकों का ही प्रयोग करना चाहिए.

18.8 ग्राहक को उन्हें जारी किये गये चेकों पर अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर का प्रिंट/स्कैन करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ग्राहक का इस संबंध में उनके और बैंक के बीच लिखित करार न किया गया हो.

18.9 बैंक कॉरपोरेट और अधिक मूल्य वाले ग्राहकों के लिए चेकों के संग्रहण हेतु एक विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा उत्पाद भी उपलब्ध कराता है. इस सेवा के अंतर्गत ग्राहकों को चेकों को संग्रहण के लिए भेजने से पहले उत्पाद/करार के निर्धारित दिशा - निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए.

18.10 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सिस्टम के ज़रिये ग्राहक को एमआईसीआर सॉर्ट कोड, खाता संख्या, खाते का प्रकार, बैंक का नाम और शाखा के नाम के आधार पर राशि (जैसे कि लाभांश, ब्याज, रिफंड आदि) प्राप्त हो जाती है. यह सारी जानकारी चेक बुक में उपलब्ध है. ग्राहक को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि धन प्रेषक को उपयुक्त विवरण दिये गये हों ताकि उसके खाते में राशि ठीक से प्राप्त हो सके. बैंक ऐसे किसी भी ईसीएस जमा के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा यदि उसे उपलब्ध करायी गई जानकारी अपर्याप्त/गलत हो और यह जानकारी रिकॉर्ड से मेल न खाती हो.

18.11 शाखा एटीएम/ऑफ साइट एटीएम ड्रॉप बॉक्स में चेकों को जमा करने के दौरान ग्राहक की जिम्मेदारी :

क. ग्राहक चेक ड्रॉप बॉक्स में अपने चेक डाल सकते हैं. ऐसे मामलों में ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक पर आदाता के खाते में रेखित हो और ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध कराये गये बैंक के रेखित स्टैम्प सहित विशेष रूप से रेखित किये गये हो.

ख. कॉरपोरेट और कारोबारी समूह के ग्राहकों को बैंक के काउंटर पर अपने चेक व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द करने होंगे और काउंटर से इसकी पावती लेनी होगी.

ग. वैयक्तिक वर्ग के ग्राहकों को 50000/- रुपये और इससे अधिक मूल्य के चेक के होने पर उन्हें बैंक के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द करना होगा और काउंटर से इसकी पावती लेना होगी.

19. अपरिहार्य घटना

19.1 यदि अज्ञात घटनाएं (जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं; सामाजिक विप्लव, विध्वंस, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य मजदूर गड़बड़ियां, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य “दैवीय प्रकोप”, युद्ध, बैंक की या उसके प्रतिनिधि बैंक की सुविधाओं को नुकसान होने, संप्रेषण के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन साधनों आदि के अभाव) जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो और जिसकी वजह से बैंक सेवाएं प्रदान करने के निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह न कर सके तो, बैंक राशि को जमा करने में हुई देरी के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करेगा.

20. ग्राहक शिकायत निवारण

20.1 इस नीति का उद्देश्य ग्राहक के साथ लेन-देन की सुविधा को पारदर्शी बनाना है और ग्राहक को होने वाली असुविधाओं को कम करना. किसी भी ग्राहक को उपर्युक्त किसी भी परिस्थिति में बैंक के विरुद्ध शिकायत अथवा गैर-भुगतान संबंधी शिकायत अथवा चेक के समाशोधन अथवा भुगतान में हुए अनुपयुक्त विलंब की शिकायत हो तो, ग्राहक, शाखा प्रमुख अथवा ग्राहक सेवा केन्द्र (कस्टमर केयर सेंटर), आईडीबीआई बैंक लि, 19 वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई, कुलाबा -400 005 से फोन पर, पत्र द्वारा अथवा ईमेल (customercare@idbi.co.in) से संपर्क कर सकता है.
